कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक, (नाम से) नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत नौटी-छातोली-जखेट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.17 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।
(Online file no-FP/UK/ROAD/12840/2015)

महोदय.

प्रश्नात प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा चाहे गये बिन्दुओं पर सूचना माँगी गई थी। परन्तु आपके स्तर से उन इन बिन्दुओं के स्थान पर कुछ और ही सूचना आनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। इस समबन्ध में सूचित करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट ।। में सही सूचना अपलोड़ करे बिना ही प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है, जिसके क्रम में उक्त प्रकरण को इस कार्यालय द्वारा सूचना पूर्ण रूप से दिये जाने हेतु पत्रांक सं0— 306 दिनांक 27—07—2017 को भी प्रस्ताव को आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी को लौटाया जा वापस लौटाया जा चुका है। परन्तु फिर भी न तो प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी एवं आपके द्वारा इस और ध्यान न देकर मात्र एक औपचारिक्ता निभाते हुए सूचना इस कार्यालय का अग्रेसारित की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, आपको कई बार भारत सरकार द्वारा लगाई गई निम्नलिखित किमयों के निराकरण हेतु आनलाईन पत्र भेजा जा चुका है। परन्तु फिर भी आपके द्वारा आपत्तियों का निराकरण किये बिना ही प्रस्ताव को पुनः मात्र औपचारिकता निभाते हुए इस कार्यालय को अग्रसारित किया गया है जो कि लापरवाही का सूचक है। भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध न कराये जाने के कारण अप्रसन्तता व्यक्त की जा रही है, तथा प्रकरणों को वापस लौटाया जा रहा है। कृपया भविष्य में यह सुनिचित किया जाए की भारत सरकार/इस कार्यालय द्वारा वान्छित बिन्दुओं की पूर्ण बिन्दुवार सूचना उपरोक्त उल्लिखित के अनुसार ही इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करे।

अतः भारत सरकार द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना आपके द्वारा किस पार्ट के किस कॉलम के किस स्थान में अपलोड की गई है, की स्पष्ट सूचना ऑनलाईन उपलब्ध कराते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। भारत सरकार द्वारा वान्छित सूचना पुनः संलग्न की जा रही है।

- 1- In the reply to point No-3 of EDS, the details of the technical and geographical reason for not opting alternate alignment have not been given.
- 2- In the reply to point No-4 of EDS, it is mentioned that the CD containing soft copy of the shape file (.shp file) for the forest land proposed the diversion is sent to this office through concerned Executive Engineer. but, the CD has not been revised in this office so far.
- 3- With the referenced to the reply submitted against point NO-6 &7 of EDS, this is to be stated that the scheme for planting of 940 seedling of Banj & Moru etc. has been submitted now. The estimated amount is calculated as Rs 21.53.882/- only which appears to be very muck on higher side hence may be reviewed. In addition, the total number of projected affected trees is shown as 51 in the online Part II and 36 trees abovt 10 cm dia in enumeration list submitted as additional documents. Therefore, the number of projects affected trees is required to be reconciled and correct figure may be uploaded along with clarification on the discrepancy in number of trees in different documents. Accordingly, density may also be re-assessed and NPV may also be calculated afresh.

अति महत्वपूर्ण

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून। संख्या:- 306 / FP/UK/ROAD/12840/2015 देहरादून: दिनांक: 27 जुलाई, 2017

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक, (नाम से) नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत नौटी-छातोली-जखेट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.17 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (Online file no-FP/UK/ROAD/12840/2015)

महोदय.

प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा दी गयी बिन्दुओं पर सूचना माँगी गई थी। परन्तु आपके रतर से उन इन बिन्दुओं के स्थान पर कुछ और ही सूचना आनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। इस समबन्ध में सूचित करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट ।। में सही सूचना अपलोड करे बिना ही प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है। जिसके क्रम में उक्त प्रकरण को इस कार्यालय द्वारा सूचना पूर्ण रूप से दिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा बार बार वापस लोटाया जा चुका है। परन्तु फिर भीं न तों प्रयोक्ता एजेन्सी / प्रभागीय वनाधिकारी एवं आपके द्वारा इस और ध्यान न देकर मात्र एक औपचारिक्ता निभाते हुए सूचना इस कार्यालय का अग्रेसारित की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, आपको कई बार भारत सरकार द्वारा लगाई गई निम्नलिखित कमियों के निराकरण हेतु आनलाईन पत्र भेजा जा चुका है। परन्तु फिर भी आपके द्वारा आपत्तियों का निराकरण किये बिना ही प्रस्ताव को पुनः मात्र औपचारिकता निभाते हुए इस कार्यालय को अग्रसारित किया गया है जो कि लापरवाही का सूचक है। भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध न कराये जाने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है, तथा प्रकरणों को वापस लौटाया जा रहा है। कृपया भविष्य में यह सुनिचित किया जाए की भारत सरकार/इस कार्यालय द्वारा वान्छित बिन्दुओं की पूर्ण बिन्दुवार सूचना उपरोक्त उल्लिखित के अनुसार ही इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करे।

अतः भारत सरकार द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना आपके द्वारा किस पार्ट के किस कॉलम के किस स्थान में अपलोड की गई है, की स्पष्ट सूचना ऑनलाईन उपलब्ध कराते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। भारत सरकार द्वारा वान्छित सूचना पुनः संलग्न की जा रही है।

- 1. In the reply to point No-3 of EDS, the details of the technical and geographical reason for not opting alternate alignment have not been given.
- 2. In the reply to point No-4 of EDS, it is mentioned that the CD containing soft copy of the shape file (.shp file) for the forest land proposed the diversion is sent to this office through concerned Executive Engineer. but, the CD has not been revised in this office so far.
- 3. With the referenced to the reply submitted against point NO-6 &7 of EDS, this is to be stated that the scheme for planting of 940 seedling of Banj & Moru etc. has been submitted now. The estimated amount is calculated as Rs 21.53.882/- only which appears to be very muck on higher side hence may be reviewed. In addition, the total number of projected

affected trees is shown as 51 in the online Part II and 36 trees abovt 10 cm dia in enumeration list submitted as additional documents. Therefore, the number of projects affected trees is required to be reconciled and correct figure may be uploaded along with clarification on the discrepancy in number of trees in different documents. Accordingly, density may also be re-assessed and NPV may also be calculated afresh.

(विनीत कुमार पांगती) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या- 306 / FP/UK/ROAD/12840/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 1-जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।

2— प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।

3— अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर।

(विनीत कुमार पांगती)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी